दिनांक 17.10.2021
प्रेस विज्ञप्ति 17/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

उ0प्र0 पुलिस द्वारा पुलिस स्मृति दिवस–2021 के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह 21 अक्टूबर को

कर्तव्यपालन के दौरान संवेदनशीलता, समर्पण और त्याग का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करने वाले शहीद पुलिस कार्मिकों की स्मृति में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम उन वीर शहीद पुलिसजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र व समाज की रक्षा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्राणों की आहुति दी है।

यह शौर्य गाथा 62 वर्ष पुरानी है जब 21 अक्टूबर 1959 को भारत की उत्तरी सीमा लद्दाख के हिमाच्छादित जनहीन क्षेत्र में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवान नियमित गश्त पर निकले थे। स्वचालित रायफलों व मोर्टारों से लैस चीनी सैनिकों ने छलपूर्वक हमारे क्षेत्र में एम्बुश लगाकर अचानक उन पर हमला कर दिया। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये साधारण शस्त्रों के बावजूद चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला करते हुए केन्द्रीय पुलिस बल के इन बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुतियॉ दी थी। इन्हीं वीर जवानों के बलिदान को याद करते हुए कर्तव्यपथ पर प्राणोत्सर्ग करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु पुलिस स्मृति दिवस मनाने की परम्परा प्रचलित है।

हमारे पुलिस कर्मियों का बलिदान उनकी सच्ची समर्पण भावना एवं कर्तव्य–परायणता का द्योतक है तथा कर्तव्यनिष्ठा एवं जनसेवा के प्रति उनकी संकल्पबद्धता को प्रतिबिम्बित करता है। वीर पुलिस कर्मियों का त्याग एवं बलिदान देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण बनकर हमारी भावी पीढ़ी को सदैव कर्तव्य–परायणता के मार्ग पर निर्भीकता के साथ अनुगमन की प्रेरणा देता रहेगा।

पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन 21 अक्टूबर को पुलिस लाइन लखनऊ में किया जायेगा।

जनपद फतेहपुर/थाना बिन्दकी

• पुलिस कार्यवाही में 25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

• लूट की 01 स्विफ्ट कार

• 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित 04 खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 16.10.2021 को थाना बिन्दकी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—आशीष उर्फ राज 2—शनि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की 01 स्विफ्ट कार, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित 04 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आशीष उर्फ राज के विरूद्ध जनपद फतेहपुर, कानपुर नगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग व अभियुक्त सनी के विरूद्ध जनपद फतेहपुर व कानपुर नगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद फतेहपुर से वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बिन्दकी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आशीष उर्फ राज निवासी अरगल थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर।

2—शनि निवासी खैराबाद थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1—लूट की 01 स्विफ्ट कार।

2—02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित 04 खोखा कारतूस आदि।

जनपद महराजगंज/थाना ठूठीबारी

•20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

•चोरी के 07 हजार रूपये नगद

•01 किलो 500 ग्राम अवैध चरस

•01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 17.10.2021 को थाना ठूठीबारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मरचहवां बंधा तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजमन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 07 हजार रूपये नगद, 01 किलो 500 ग्राम अवैध चरस, 01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना चौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 148/2020 धारा 457/380 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ठूठीबारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजमन निवासी हरखपुरा थाना बेलटांडी जनपद नवलपरासी नेपाल।

बरामदगी

1—चोरी के 07 हजार रूपये नगद।

2—01 किलो 500 ग्राम अवैध चरस।

3—01 अवैध तमंचा, 02 जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा—2

•पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

•लूट के 01 लाख 21 हजार 200 रूपये नगद

•04 अवैध तमंचा, 04 जीवित 04 खोखा कारतूस

•लूट का 05 एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन

•आधार कार्ड, 137 नम्बर प्लेट स्टीकर आदि

•घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार बिना नम्बर बरामद

दिनांक 17.10.2021 को थाना बीटा—2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चूहड़पुर अण्डरपास के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्तों 1—आनन्द 2—दीपक 3—शिवकुमार 4—बबलू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 21 हजार 200 रूपये नगद, 04 अवैध तमंचा, 04 जीवित 04 खोखा कारतूस, लूट का एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, 137 नम्बर प्लेट स्टीकर आदि घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार बिना नम्बर बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद मथुरा, दिल्ली के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 26 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा—2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आनन्द निवासी आदर्शनगर ओल्ड पावर हाउस रिवाडी हरियाणा।

2—दीपक निवासी बडा गुरसाना थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

3—शिवकुमार निवासी बडा गुरसाना थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

4—बबलू निवासी मायचा थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 01 लाख 21 हजार 200 रूपये नगद।

2—04 अवैध तमंचा, 04 जीवित 04 खोखा कारतूस।

3—लूट का एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन।

4— आधार कार्ड, 137 नम्बर प्लेट स्टीकर आदि।

5—घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार बिना नम्बर।

<u>जनपद रामपुर/थाना मिलक</u>

•लूट की घटना का अनावरण
•पुलिस कार्यवाही में 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
•लूट के 39 हजार 900 रूपये नगद
•01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01 खोखा कारतूस
•घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 17.10.2021 को थाना मिलक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करीमगंज तिराहे के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त देवसरन को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 39 हजार 900 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रामपुर, मुरादाबाद, बरेली आदि के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 28.09.2021 को थाना मिलक क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित

की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मिलक पर अन्तर्गत धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मिलक पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–देवसरन निवासी मंगुपुरा थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–लूट के 39 हजार 900 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित 01 खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद मथुरा/थाना सुरीर

●04 शातिर अभियुक्त

●लूटे गये 45 गैस सिलेण्डर

●02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 01 खोखा कारतूस

●01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक 17.10.2021 को थाना सुरीर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गंग नहर महमूदगढी कोठी पुल के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–रेहान 2–सोनू 3–गौरव उर्फ आदित्य 4–नवीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 45 गैस सिलेण्डर, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 01 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त गौरव उर्फ आदित्य के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त रेहान, सोनू एवं नवीन के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट के 04—04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सुरीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रेहान निवासी चेहरा थाना मुरसान जनपद हाथरस।

2—सोनू निवासी केसरगढ़ी थाना मुरसान जनपद हाथरस।

3—गौरव उर्फ आदित्य निवासी ईसापुर थाना जमुनापार जनपद मथुरा।

4—नवीन निवासी करनपुर थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—लूटे गये 45 गैस सिलेण्डर।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मथुरा/थाना हाई—वे

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी के 01 लाख 14 हजार 654 रूपये नगद

• चोरी के चाँदी के आभूषण, चोरी का 01 मोबाइल फोन

• चोरी की 01 दो पहिया वाहन बरामद

दिनांक 17.10.2021 को थाना हाई—वे पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तारसी पुलिस चौकी के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1— मनोज उर्फ लंगडा

2—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 14 हजार 654 रूपये नगद, चोरी के चाँदी के आभूषण, चोरी का 01 मोबाइल फोन, चोरी की 01 दो पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोबाइल फोन, आभूषण, स्कूटी आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हाई—वे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—मनोज उर्फ लंगडा निवासी राधिका बिहार कालोनी कस्बा व थाना फरह जनपद मथुरा।

2—अभियुक्ता।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के 01 लाख 14 हजार 654 रूपये नगद।

2—चोरी के चाँदी के आभूषण।

3—चोरी का 01 मोबाइल फोन।

4—चोरी की 01 दो पहिया वाहन।

<u>जनपद सीतापुर/थाना लहरपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 06 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **43 हजार 200 रूपये नगद, सोने—चाँदी के आभूषण आदि**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 05 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 17.10.2021 को थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर निबौरी मोड़ ढलान पुलिया के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 06 शातिर

अभियुक्तों 1—विमल 2—गोलू उर्फ रघुवंश 3—अरविन्द 4—अमीश कुमार 5—उपेन्द्र कुमार 6—वीरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 43 हजार 200 रूपये नगद, सोने—चाँदी के आभूषण आदि, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 05 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अरविन्द के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त गोलू उर्फ रघुवंश के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 05 अभियोग, एवं अभियुक्त विमल, अमीश, उपेन्द्र, वीरेन्द्र के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना लहरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विमल निवासी ठठेरी टोला कस्बा व थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

2—गोलू उर्फ रघुवंश निवासी निवौरी कोतवाली लहरपुर जनपद सीतापुर।

3—अरविन्द निवासी कैथा गाजीपुर थाना महोली जनपद सीतापुर, हालपता कोड़रा थाना हरगांव जनपद सीतापुर।

4—अमीश कुमार निवासी अम्बरसराय कस्बा व थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

5—उपेन्द्र कुमार निवासी अम्बरसराय कस्बा व थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

6—वीरेन्द्र कुमार निवासी अम्बरसराय कस्बा व थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

<u>बरामदगी</u>

1—43 हजार 200 रूपये नगद।

2—सोने—चाँदी के आभूषण आदि।

3—03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 05 जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

<u>जनपद प्रयागराज/थाना करेली</u>

•चोरी की घटना का अनावरण

•04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

•चोरी के सोने—चाँदी के भारी मात्रा में आभूषण

•07 मोबाइल फोन

•02 दो पहिया वाहन आदि बरामद

दिनांक 17.10.2021 को थाना करेली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अंधीपुर पुलिया के पास से घेराबन्दी कर 04 शातिर अभियुक्तों 1—नसीर उर्फ बब्लू 2—शमीर 3—अनीस 4—फिरोज अली को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने—चाँदी के भारी मात्रा में आभूषण, 07 मोबाइल फोन, 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा बन्द घरों में रैकी कर चोरी की घटनाएं कारित की जाती है। अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना करेली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—नसीर उर्फ बब्लू निवासी एडीए कालोनी थाना नैनी जनपद प्रयागराज।

2—शमीर निवासी मुरस्सापुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।

3—अनीस निवासी एडीए कालोनी थाना नैनी जनपद प्रयागराज।

4—फिरोजअली निवासी रतनगंज कटरा थाना कोतवाली जनपद मिर्जापुर।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के सोने—चाँदी के भारी मात्रा में आभूषण।

2—07 मोबाइल फोन।

3—02 दो पहिया वाहन आदि।

<u>एस0टी0एफ0— अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य गिरफ्तार। भारी मात्रा में 01 किलो 180 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 01 करोड रूपये) एवं 07 लाख 40 हजार रूपये बरामद</u>

दिनांक 16—10—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को कस्बा व थाना बहेडी जनपद—बरेली से गिरफ्तार करने व भारी मात्रा में 01 किलो 180 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 01 करोड रूपये) एवं 07 लाख 40 हजार रूपये बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—</u>

1—मौ0 युसुफ उर्फ हाफिज पुत्र युनुस निवासी शाहगढ, थाना कोतवाली बहेडी, जिला बरेली।

2—उस्मान पुत्र नवीहुसैन, नि0 मोहल्ला अन्सारी वार्ड न0 14 थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली।

बरामदगी –

1– 01 किलो 180 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 01 करोड़ रूपये)

2–07 लाख 40 हजार रूपये

3–01 अदद स्कूटी न0 यू0पी0 25 सी0वी0 8222

4–04 अदद मोबाइल फोन

गिरफ्तारी का दिनांक स्थान–16–10–2021 मोहल्ला शाहगढ, कस्बा बहेडी जनपद–बरेली।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनो से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदो में मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री सत्यसेन, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री अजय पाल सिंह, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, बरेली के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांकः 16–10–2021 को विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले गिरोह का उस्मान अली फतेहगंज पश्चिमी से अपनी स्कूटी में छिपाकर बहेडी में मौ0 युसुफ उर्फ हाफिज को लाकर देगा, जिसकी सप्लाई उत्राखण्ड के ऊधमसिंह नगर व हल्द्वानी नैनीताल में होनी है। इस सूचना को स्थानीय पुलिस से साझा कर मोहल्ला शाहगढ में मौ0 युसुफ के मकान के पास उपरोक्त दोनों लोगों को रोक कर क्षेत्राधिकारी बहेडी श्री अजय कुमार गौतम के समक्ष अभियुक्तों की तलाशी ली गई तो उपरोक्त दोनो अभियुक्तों के कब्जे से 01 किलो 180 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 01 करोड रूपये से अधिक है और इनके कब्जे से स्मैक बिक्री का 07 लाख 40 हजार रूपये भी बरामद हुआ।

पकडे गये अभियुक्त उस्मान ने बताया कि मैं लम्बे समय से कस्बा बहेडी के मौ0 युसुफ उपरोक्त व मुस्ताक पुत्र अब्दुल अजीज नि0 मो0 बाजार बहेडी व आरिफ पुत्र अबरार अहमद नि0 नूरी मस्जिद शुगर फैक्ट्री नई बस्ती कस्बा बहेडी को सप्लाई देता हॅू। आज भी मैं युसुफ को माल देने के बाद वाकी माल इन दोनों लोगों को देता। मैं इन लोगों को यह माल 10 लाख रूपयें प्रति किलो के हिसाब से देता हॅू। इससे पूर्व भी मुझे व मेरी पत्नी रिहाना को एस0टी0एफ0 द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने में जनपद बरेली के कोतवाली शहर क्षेत्र से पकडा गया है।

अभियुक्त उस्मान थाना पश्चिमी, जनपद बरेली का एच0एस0 87/ए है तथा इसके विरूद्ध अलग–अलग जनपदों में दर्जनो अभियोग पंजीकृत हैं।

मौ0 युसुफ उपरोक्त ने बताया कि मेरे द्वारा उस्मान से जो माल खरीदा जाता है वह उत्तराखण्ड के ऊधमसिंह नगर हल्द्वानी नैनीताल में 15 लाख प्रति किलो ग्राम के हिसाब से सप्लाई कर देता हॅू।

मौ0 युसुफ हल्द्वानी के मु0अ0सं0ः192/21 धारा–8/21/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में हल्द्वानी कोतवाली से वांछित है।

<u>अभियुक्त एच0एस0 87/ए उस्मान पुत्र नवी हुसैन निवासी उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः–</u>

1–मु0अ0स0 1600/2000 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना कटघर मुरादाबाद।
2–मु0अ0स0 562/2010 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली बरेली
3–मु0अ0स0 601/2012 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना फतेहगंज, पश्चिमी बरेली,
4–मु0अ0स0 84/2014 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना सुभाषनगर जनपद भीलवाडा, राजस्थान
5–मु0अ0स0 360/2014 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली
6–मु0अ0स0 226/2018 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली
7–मु0अ0स0 440/2007 धारा 3(1) यू0पी0 गुण्डा एक्ट, थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली

8—मु0अ0स0 498/2009 धारा 3(1) यू0पी0 गुण्डाप एक्ट, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली

9—मु0अ0स0 292/2002 धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना इज्जतनगर, बरेली

10—मु0अ0स0 305/96 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली

11—मु0अ0स0 248/2002 धारा 379/411 भादवि थाना इज्जतनगर बरेली

12—मु0अ0स0 123/2018 धारा 384/504/506 भादवि, थाना मीरगंज, बरेली

13—मु0अ0स0 281/96 धारा 302 भादवि, थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली

14—मु0अ0स0 291/2002 धारा 302 भादवि थाना इज्जतनगर, बरेली

15—मु0अ0स0 493/09 धारा 147/148/324/308/323/504 भादवि, थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली

16—एन0सी0आर0 36/07 धारा 323/504 भादवि, थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली

17—मु0अ0स0 29/2020 धारा 147,452,323,504,506 थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली

गिरफ्तार अभियुक्तगण को थाना बहेडी जनपद बरेली में दाखिल कर उनके विरूद्व मु0अ0सं0:745/21 धारा 8/21/29/60(3) एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना बहेडी जनपद बरेली द्वारा की जा रही है।

————————